राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

E-mail: rsscjaipur@gmail.comrssccoachingjaipur@gmail.com

Phone – 0141-2744283, 0141-2742468

क्रमांक : एफ.5/6/के.प्र.शि.आबू पर्वत/2024–25/304 दिनांक : 9/05/24

ई–निविदा सूचना संख्या 56 दिनांक 10/5/2024

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा माह मई–जून, 2024 में 22 दिवसीय केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, आबू पर्वत (सिरोही), में होटल व्यवस्था की जानी है। होटल व्यवस्था आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। संबधित पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.inएवं http://sppp.raj.nic.inतथा www.rssc.inपर देखा जा सकता है।

1.	निविदा के कार्य का नाम	:	केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आबू पर्वत (सिरोही), वर्ष 2024–25 में होटल व्यवस्था (मई–जून, 2024 में 22 दिवसीय)
2.	अनुमानित लागत	:	35.20 लाख रूपये
3.	निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	:	दिनांक 10.05.2024 से
4.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	20.05.2024 दोपहर 1:00 बजे तक
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	:	20.05.2024 को दोपहर 4:00 बजे

क्र. सं.	कार्य का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	1000/– रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	20.05.2024 दोपहर 3:00 बजे तक	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
2	धरोहर राशि	70400/– रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
3	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/– रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		Managing Director RISL (Payable at Jaipur)

(सोहन राम चौधरी, RAS)
सचिव

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

E-mail: rsscjaipur@gmail.comrssccoachingjaipur@gmail.comPhone – 0141-2744283, 0141-2742468

क्रमांक : एफ.5/6/के.प्र.शि.आबू पर्वत/2024–25/ दिनांक :

ई–निविदा सूचना संख्या....56.... दिनांक 10/5/2024

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, द्वारा केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, आबू पर्वत (सिरोही), वर्ष 2024–25 हेतु होटल व्यवस्था की जानी है। होटल व्यवस्था हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा केवल अधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही ऑन–लाईन बिड आमंत्रित की जाती है। आवेदक द्वारा ऑन–लाईन बिड के अन्तर्गत चाहे गये तकनीकी दस्तावेज के साथ EMD, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस शुल्क जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पक्ष में देय होगा को डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व ऑफ लाईन जमा कराना होगा। ऑन–लाईन तकनीकी/वित्तीय बिड दिनांक 20.05.2024 दोपहर 1:00 बजे तक Online प्रस्तुत की जा सकेगी।

तकनीकी बिड दिनांक 20.05.2024 को दोपहर 4:00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी रूप से योग्य आवेदकों की वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तों का अवलोकन आई.डी. संख्या के अन्तर्गत www.rssc.ineproc@rajasthan.gov.in एवं www.sppp.nic.in पर किया जा सकता है।

किसी भी निविदा, निविदा के अंश अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना किसी भी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदनकर्ता के पास वैद्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट–(DSC) जो कि Class-III की होना आवश्यक है। बिड डालने से पूर्व DSC eproc@rajasthan.gov.in की Website पर रजिस्टर करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हैल्पडेस्क (eproc-cell) 0141–4022688 or mail eproc@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सोहन राम चौधरी, RAS)
सचिव

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

E-mail: rsscjaipur@gmail.comrssccoachingjaipur@gmail.comPhone – 0141-2744283, 0141-2742468

ई निविदा/बोली शुल्क रूपये 1000/–
ई टेण्डर प्रक्रिया शुल्क 500/–

निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि :– 20.05.2024 समय दोपहर 01.00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की अंतिम तिथि :–20.05.2024 समय दोपहर 04.00 बजे

होटल व्यवस्था हेतु ई–बोली संख्या 56 दिनांक 10/5/2024

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता ....
2. दूरभाष संख्या ....मोबाइल नम्बर ....
   ई–मेल आईडी..
3. बोली जिसे सम्बोधित की जानी है :– सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।
4. बोली शुल्क की राशि रूपये 1000/– रूपये मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
5. हम राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा जारी की गई इस बोली में वर्णित सभी शर्तो तथा उक्त बोली की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनके उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते है।
6. तकनीकी बिड/वित्तीय बिड विधिवत ऑन–लाईन प्रस्तुत करना होगा।
7. प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 500/– रूपये का डी0डी0 जो कि MD. RISL, Jaipur के पक्ष में देय करना अनिवार्य होगा।
8. बोलीदाता को केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, आबू पर्वत (सिरोही), हेतु अमानत राशि रुपये 70400/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर, के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट भी ऑफलाईन जमा कराने होगें।
9. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्धारित स्थान पर अलग–अलग होटल व्यवस्था कर दी जावेगी।
10. होटल उत्कृष्ट गुणवत्ता का होगा। इस संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जावेगा। कमेटी द्वारा समय–समय पर जांच की जायेगी।
11. ऊपर उद्धरित की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार बढाया जा सकेगा।
12. बोलीदाता की सशर्त बोली को रद्द समझा जावेगा।
13. निर्धारित होटल व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान राज्य कीडा परिषद में सुरक्षित है।
14. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता
नाम व पता ....
मोबाईल नंबर ....

प्रतिबंध एवं शर्ते

टिप्पणी :– ई–बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी ई–बोली भेजते समय इन्हे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

1. तकनीकी एवं फाईनेशियल बोलीओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाईन अपलोड नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलीओं पर समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. **बोलीदाता को केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, माउण्ट आबू हेतु अमानत राशि रुपये 70400/–**का बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर, के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट भी ऑफलाईन जमा कराने होगें।
4. बोलीदाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिए। दरे पृथक–पृथक आईटम वाईज अंकित की जानी चाहिए।
5. **न्यूनतम बोलीदाता की दर निर्धारण के लिए बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तुत कुल राशि को आधार माना जावेगा। जिसके आधार पर Lowest का निर्धारण होगा।**
6. बोलीयें उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक के लिये विधिमान्य होगी।
7. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे पर नही देगा।
8. बोलीदाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
9. अमानत राशि :–
   - (क) **बोलीदाता को केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, माउण्ट आबू हेतु अमानत राशि रुपये 70400/–** का बैंक ड्राफ्ट ऑफलाइन परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना बोलीओं पर विचार नही किया जायेगा।
   - (ख) असफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
   - (ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं को पूर्ण हो जाने के कारण परिषद् कार्यालय के पास पूर्व से जमा राशि अमानत राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नही किया जावेगा।
10. अमानत राशि का समपहरण :– अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :–
    - (i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
    - (ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहीत किसी करार को निष्पादित नही करता है।
    - (iii) जब बोलीदाता ठेके के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हैं।
    - (iv) जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हैं।
11. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–
    - (i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से तीन दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र 500/– रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिए बोलीयें स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति/धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, अनुबंध पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करानी होगी।
    - (ii) बोली के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को प्रतिभूति/धरोहर राशि के लिये समायोजित कर लिया जावेगा।
    - (iii) प्रतिभूति/धरोहर राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।
    - (iv) प्रतिभूति/धरोहर राशि के रूप में निम्न मान्य होगें :–
      (क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
    - (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
    - (vi) प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया में नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

12. प्रतिभूति/धरोहर राशि का समपहरण :– प्रतिभूति/धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :–

(i) जब संविदा की शर्तों का उल्लघन किया गया हो।

(ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने मे असफल हो।

(iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकार, सचिव राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।

14. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा के शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए परिषद् का निर्णय अंतिम होगा एवं बोलीदाता को मान्य होगा।

15. बोलीदाता द्वार शर्तों के उल्लघन करने पर अनुपातिक रूप से निविदा की राशि में से कटौती की जावेगी।

16. बोलीदाता द्वारा ई–बोली के साथ फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, जी. एस. टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं कार्य आदेश के साथ–साथ अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किये जायेगें।

17. बोलीदाता को किए जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान में से आयकर एवं अन्य देय कर की राशि की नियमानुसार कटौती की जावेगी।

18. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्ते आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलायें किसी भी बोली को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।

20. ई–बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभि प्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्या।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

21. होटल में अधिकारीयों एवं प्रशिक्षकों, कार्मिकों एवं खिलाडियों हेतु कमरें एसी/नॉन एसी के ठहरने की स्वच्छ एवं आरामदायक व्यवस्था हो, सभी कमरो में शौचालय व स्नानागार, जल की पर्याप्त उपलब्धता एवं उचित एवं स्वच्छ वेन्टीलेशन की सम्पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। बदबूदार, सीलन–गंध युक्त कमरे किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं होंगे ।

22. ग्रीष्मकालीन आवासीय केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण स्थल से होटल की दूरी 300–400 मीटर से अधिक नही हो।

23. होटल आवश्यकतानुसार आदेशित किए गए दिनों एवं स्थान पर उपलब्ध कराया जावेगा। होटल के कमरे जितने दिवस उपयोग में लिए जावेंगे, उतने दिवस का प्रति रूम किराया ही देय होगा।

24. होटल के कमरों की अनुमानित संख्या में कमी एवं वृद्धि करने का अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसका दी गई दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

25. होटल मे शामिल विभिन्न सामग्री साफ–स्वच्छ, धूल मिट्टी रहित उपलब्ध करानी होगी। Below Standard होटल स्वीकार नहीं की जावेगा। होटल मानक स्तर से नीचे होने पर परिषद अधिकारी के निर्देश पर तुरंत परिवर्तित करनी होगी। होटल में शुद्ध RO पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। आवश्यकता होने पर RO कैम्पर से भी पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ।

26. टैक्निकल बिड़ में सफल ई–बोलीदाता की ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी ।

27. कमरों में प्रतिदिन बैडशीट, पिलो कवर एवं टॉवल बदले जायेगें। लेट–बाथ एवं कमरे की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।

28. जी. एस. टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी ।

29. बोलीओं को ई–बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से अपलोड करनी होगी।

30. **बोलीदाता/फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में औसत टर्न ओवर 35.20 लाख से कम नहीं होना चाहिये। इस हेतु बोलीदाता को टर्न ओवर के संबंध में उक्त वर्षो के चार्टेट एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र मय यूडीआई नं0 के हस्ताक्षर मय सील के प्रति संलग्न करनी होगी।**

31. संस्था के होटल कार्य में किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। होटल कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी/कोविड से पीडित नही होना चाहिए। होटल कर्मचारी अनिवार्य रूप से प्रातः 5.00 बजे से रात्रि

12.00 बजे तक उपस्थित रहेगे, इसके पूर्व उपस्थित होना स्वेच्छा पर निर्भर रहेगा। बाल मजदूरी निषेध रहेगी।

32. ऊपर उद्धृत की गई दरें कार्य आदेश की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधि मान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

33. टैक्निकल बिड़ में सफल ई–निविदादाता की ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी ।

34. बोलीओं को ई–बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से अपलोड करनी होगी।

35. बोली की अवधि में यदि होटल कर्मचारियों द्वारा हडताल की जाती है और संस्था इस अवधि में होटल कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर होटल की वैकल्पिक व्यवस्था पर की गयी व्यय राशि बोलीदाता से वसूलनीय होगी। यह राशि बोलीदाता के बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। इसके उपरान्त भी राशि शेष रहती है तो बोलीदाता जमा कराने के बाध्य होगा।

36. बोलीदाता द्वारा अपने होटल कर्मचारियों की हाजरी पंजिका संस्था के मुख्य द्वार पर ड्यूटी कर्मचारी के पास सुरक्षित उपलब्ध करानी होगी। बोलीदाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा।

37. बोलीदाता अपने कर्मचारियों के चाल–चलन, चरित्र आदि के संबंध में स्वंय जिम्मेदार होगा।

38. होटल का भुगतान वास्तविक उपस्थिति के अनुसार किया जावेगा।

39. यदि बोलीदाता संतोषप्रद होटल व्यवस्था यथा आवश्यकता व अवधि में प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत वसूलनीय होगी।

40. बोलीदाता को सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।

41. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जावेगी। अन्यत्र नहीं की जायेगी।

42. <u>परिसमापित नुकसानी</u> :–

1. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए।	2.5 %
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए।	5 %
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई अनधिक के लिए।	7.5 %
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए।	10 %

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
4. यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

43. <u>वसूली</u> :–परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सनतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त कि अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

44. आर. टी. पी. पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम की शेष शर्तें भी लागू होगी।

45. निविदा के साथ निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले होटलों की संभावित सूची मय रूम एवं होटल के फोटोग्राफ्स भी निविदा में अपलोड करने होगें।

उपरोक्त होटल कार्य संबंधी शर्ते मैने/हमने पढ ली है, और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर ई–बोलीदाता

मोबाईल नम्बर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No...............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy.Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan,Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement

(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations

(d) Cancellation of a procurement process

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any,

Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second Appellate authority, as the case may be, in person or though registered post Orauthorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

   i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

   ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

   iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

   (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   (i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure-G

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा जो तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी है

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, आबू पर्वत (सिरोही), वर्ष 2024–25 हेतु होटल व्यवस्था जिन के लिए निविदा दी है, उसके लिए मैं/हम सक्षम हूं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो हमारे विरूद्ध सभी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहरत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा एवं हमें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत अनर्हकारी माना जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदादाता का नाम———————————
पूर्ण पता———————————————
———————————————————
———————————————————
———————————————————
टेलिफोन नं. (निवास)———————————
(कार्यालय).———————————
फैक्स/ई–मेल ———————————

FINANCIAL BIDS

1. बोलीदाता का नाम..

2. डाक का पता ....
....
....

3. टेलीफोन नं. (कार्यालय)...
(निवास) ....
(पैन नं0) ....

4. अनेक्चर–"एफ" के अनुसार केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, आबू पर्वत (सिरोही), **वर्ष 2024–25** जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है। का विवरण का उल्लेख करना आवश्यक है। शिविर का नाम :–

<u>**वित्तीय बिड**</u> होटल व्यवस्था की दरें सभी करों सहित निम्न प्रकार से प्रस्तुत करनी होगी।

FORMAT FOR PRICE QUOTATIONS OF ITEM

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	यूनिट	प्रति कमरा प्रतिदिन की दर (रूपये)
स्टॉफ हेतु				
1	डीलक्स ए.सी. कमरा प्रशिक्षक / कर्मचारी / अधिकारी हेतु	15 कमरें	कमरा (डबल बैड)	
2	डीलक्स नॉन ए.सी. कमरा प्रशिक्षक / कर्मचारी / अधिकारी हेतु	15 कमरें	कमरा (डबल बैड)	
खिलाडियों हेतु				
क्र. सं.	**वस्तु का नाम**	**अनुमानित मात्रा**	**यूनिट**	**प्रति खिलाडी प्रतिदिन की दर (रूपये)**
3	डीलक्स ए.सी. क्रमरा खिलाडियों हेतु	275 खिलाडियों हेतु	प्रति खिलाडी प्रतिदिन	
4	डीलक्स नॉन ए.सी. कमरा खिलाडियों हेतु	275 खिलाडियों हेतु	प्रति खिलाडी प्रतिदिन	

नोट :– 1. निविदा के साथ निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले होटलों की संभावित सूची मय रूम एवं होटल के फोटोग्राफ्स भी निविदा में अपलोड करने होगें।
2. खिलाडियों हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले एक कमरें में अधिकतम 5 खिलाडी आवासीत किये जा सकेगें एवं प्रत्येक खिलाडी को बैड उपलब्ध करवाया जावेगा।

न्यूनतम कुल राशि चयन का आधार होगी।

बोलीदाता / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
मय मोहर